

No.EDN-H(1)B(6)01/2018-Misc.  
Directorate of Higher Education,  
Himachal Pradesh, Shimla-1.

To Dated: Shimla - 171001 the March, 2018

✓ All the Dy. Director Higher Education,  
at District level in Himachal Pradesh. Una

Subject: - Regarding exploitation of Class-IV employees of Education Department.

Memo:

Refer to the Secretary (Education) to the Govt. of Himachal Pradesh Shimla-2 letter No.EDN-A-Kha(1)-2/2012 dated 28.02.18 and 26.02.2018 on the subject cited above.

In this regard, find enclosed herewith the photocopy of application received from all Class-IV employees which is self explanatory and directed to examine the matter and send detailed report alongwith your comments on all the points to this Directorate immediately, so that Govt. could be apprised accordingly.

Encls. as above.

(Dr. Sonia Thakur) HAS  
Jt. Director Higher Education (A)  
Himachal Pradesh  
the March, 2018

Encls.No As above Dated Shimla-171001,  
Copy for information is forwarded to:-

1. The Secretary (Education) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2 w.r.to their letter referred above.

Endt. No:EDN-U (E-II)Misc/2018-3007 Dated 26 Mar, 2018  
Office of the Deputy Director of Hr Education Una, Distt Una (HP)

Copy to:- 1. All the heads of GSSS/High schools in Una Distt. for information and necessary action

[Signature]  
Deputy Director of Hr Education,  
Una, Distt Una (HP)

[Signature]  
23/3/18

Date  
8/02/2018

मनीष मुख्यमंत्री जी,

विषय:- हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के हो रहे शोषण को रोकने हेतु प्रार्थना पत्र।

श्री मान जी,

निवेदन, यह है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में अधिकारी वर्ग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का भरपूर शोषण कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार एक समान नौकरी वेतन देती है। परन्तु सेवा समय अलग-अलग होने के कारण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शोषण हो रहा है।

- 1) दिन के समय सेवा देने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तीन से चार कर्मचारी होते हैं। उनकी सेवा समय सारणी हिन्दुस्तान संविधान के अनुसार ठीक आठ घण्टे होती है। परन्तु उनसे भी स्कूलों में चाये बनाना तथा रोटी के झूठे बर्तन साफ करवाना इत्यादि अतिरिक्त सेवा ली जाती है।
- 2) जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रात के समय अकेले अकेले में सेवा देते हैं। उनसे शाम 4:30 PM बजे से सुबह 9:30 AM बजे तक सेवा ली जाती है। जो कि कुल मिलाकर 16 से 17 घण्टे घनते हैं। यह हिन्दुस्तान संविधान के अनुसार बिल्कुल गलत है। जबकि रात में सेवा देने वालों के पास आराम करने का कोई समय नहीं बचता है, जैसे नहाना धोना सुबह शाम दो बार रोटी बनाना। हमने भी अध्यापकों से संविधान के बारे में कुछ ऐसा पढ़ा है, कि हर कर्मचारी का सेवा समय आठ घण्टे होता है। उससे ज्यादा सेवा लेना या देना शोषण होता है।
- 3) यदि कोई हमारा भाई-बहन आवाज उठाता है, तो उसकी आवाज को दबाव बनाकर दबा दिया जाता है।
- 4) हमारे कई भाई-बहनों ने शिमला उच्च शिक्षा निदेशक से R.T.I के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कि सारणी मांगी परन्तु जवाब में कुछ और ही होता है। सही कोई जवाब नहीं दिया जाता है।
- 5) हम समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महोदय जी से प्रार्थना करते हैं, कि रात्री सेवा के लिए दो कर्मचारी नियुक्त किए जाएँ। जबकि दिन के समय तीन से चार कर्मचारी होते हैं। हमारी समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महोदय जी से प्रार्थना करते हैं, कि उपरोक्त लिखित विवरण को मध्य नजर रखते हुए हमें शोषण मुक्त किया जाये। तथा कार्यालय को सेवा समय सारणी प्रतिलिपी भेजी जाए।

धन्यावाद

प्रार्थी

समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हि० प्र०

प्रतिलिपी:-

- (1) राष्ट्रपति
- (2) प्रधानमन्त्री
- (3) केंद्रीय शिक्षा मन्त्री
- (4) राज्य पाल (हि० प्र०)
- (5) मुख्यमन्त्री (हि० प्र०)
- (6) शिक्षा मन्त्री (हि० प्र०)
- (7) उच्च शिक्षा निदेशक शिमला

8/2/18  
R  
M